न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

रिव्यु पेटीशन प्रार्थना पत्र सं. 11/2009 एल.आर.एक्ट

अनवानी : केशरीसिंह पुत्र रामजीवन जाति कुम्हार निवासी चक 15 जेड तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 17एमडी तहसील घड़साना ।

--- प्रार्थी

-- बनाम --

1. साहबराम पुत्र फूसाराम जाट नि0 फतूई तह0 श्रीगंगानगर। **(आदेश दि0 22.7.14 द्वारा नाम हटाया गया)**
2. मु. सावित्री बेवा रामस्वरुप जाति बिश्नोई निवासी चक 17 एमडीए तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर ।
3. पृथ्वीराज पुत्र रामजीवन जाति कुम्हार निवासी चक 15 जेड तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 17 एमडीए तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार घड़साना जिला श्रीगंगानगर ।

---- अप्रार्थीगण

उपस्थित :- श्री विजयकुमार — अभिभाषक प्रार्थी ।
श्री सुभाष सहू — राजकीय अभिभाषक (अप्रार्थी सं04)

निर्णय

दिनांक 14.5.2019

1. प्रार्थी द्वारा यह रिव्यु पेटीशन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 एवं सपठित ऑर्डर 47 नियम 1 सीपीसी के अन्तर्गत सम्भागीय आयुक्त न्यायालय द्वारा एल.आर. एक्ट अपील सं0 26/1998 अनवान केशरीसिंह बनाम साहबराम वगैरह में पारित किये गये निर्णय दिनांक 14.8.07 जिसके द्वारा प्रथम अपील अपीलान्ट खारिज की गयी, के विरुध्द दिनांक 10.9.2007 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।
2. प्रस्तुत रिव्यु पेटीशन दर्ज रजिस्टर किया जाकर इस न्यायालय द्वारा निर्णीत की गयी अपील पत्रावली सं0 26/98 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घड़साना की पत्रावली सं0 19/27.10.94 एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर की पत्रावली सं0 44/97 शामिल पेटीशन की गयी । रिव्यु पेटीशन में अप्रार्थी सं01 का नाम आदेश दिनांक 22.7.14 द्वारा हटाया गया । अप्रार्थी सं02 का नोटिस अखबार में साया करने के बाद उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुध्द इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । अप्रार्थी सं03 नोटिस तामील हो जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए ।
3. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि तहसील घड़साना चक 17 एम.डी.ए का मुरब्बा नं0 43/60 का 5 बीघा 17 बिस्वा, 43/52 का 11बीघा 8 बिस्वा, 43/53 का 7 बीघा, 43/61 का 6 बीघा कुल 30 बीघा 5 बिस्वा कस्टोडियम का रकबा था, जो कस्टोडियन विभाग द्वारा साहबराम पुत्र फूसाराम एवं श्रीमती रामप्यारी माता कुरड़ाराम जाट निवासी फतूही जिला श्रीगंगानगर को कस्टोडियम विभाग द्वारा आवंटन की गयी थी । श्री साहबराम एवं श्रीमती रामप्यारी के मुखत्यारआम ने उक्त भूमि को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 7.5.69 द्वारा पृथ्वीराज-केशरीसिंह पि. रामजीवन कुम्हार को विक्रय की गयी । उक्त विवादित भूमि के बाबत बैयनामा का नामान्तरकरण सं0 21 दिनांक 6.3.93 नायब तहसीलदार घड़साना द्वारा इस आधार

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पर खारिज किया गया कि मौके पर खरीददार का कब्जा ना होकर रामस्वरुप पुत्र रामधन बिश्नोई का पुराना कब्जा काश्त है तथा रजिस्ट्री खसरा नम्बरों में होने के कारण राजस्व अभिलेख से मिलान नहीं होता है । उक्त खारिज किये गये नामान्तरकरण सं0 21 दिनाक 6.3.93 के विरुध्द पृथ्वीराज–केशरीसिंह द्वारा न्यायालय अति. जिला कलक्टर प्रशासन, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील सं0 22/93 अनवान पृथ्वीराज वगैरह बनाम स्टेट प्रस्तुत की गयी । अति. जिला कलक्टर प्रशासन, श्रीगंगानगर द्वारा उक्त अपील में आदेश दिनांक 19.9.94 पारित कर नायब तहसीलदार घड़साना द्वारा बैयनामा के इन्तकाल सं0 21 पर दिया गया आदेश दिनांक 6.3.93 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार घड़साना को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि मूल आवंटी, अपीलार्थीगण एवं भूमि पर काबिज व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर व रिकॉर्ड की जांच के पश्चात पुनः आदेश पारित करें। न्यायालाय अति.जिला कलक्टर प्रशासन के उक्त रिमाण्ड आदेश पर तहसीलदार घड़साना द्वारा रिमाण्ड प्रकरण सं0 19/27.10.94 अनवान पृथ्वीराज व केशरीसिंह पि0 रामजीवन बनाम सावित्री पत्नी रामस्वरुप दर्ज किया जाकर जांच एवं सुनवाई के पश्चात आदेश दिनांक 10.4.97 पारित कर प्रार्थीगण अपीलान्ट का 28 वर्ष पुराना बैयनामा होने तथा मौके पर अप्रार्थी का पुराना कब्जा मानते हुए प्रार्थीगण अपीलान्ट का बैयनामा इन्तकाल का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया तथा प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु सलाह दी गयी । तहसीलदार घड़साना द्वारा पारित किये गये उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.4.97 के विरुध्द अपीलार्थी केशरीसिंह द्वारा इस न्यायालय में धारा–75 एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत प्रथम अपील सं0 26/98 प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 14.8.07 द्वारा खारिज किये जाने पर इस न्यायालय में प्रार्थी केशरीसिंह द्वारा यह रिव्यु पेटीशन प्रस्तुत की गयी है ।

4. प्रार्थी केसरीसिंह द्वारा प्रस्तुत रिव्यु पेटीशन में प्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में मूल आवंटी साहबराम व रामप्यारी को विवादित भूमि के बाबत सनद सं0 6504 दिनांक 23.1.69 प्राप्त होने के पश्चात मुखत्यार आम की मार्फत जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 7.5.69 द्वारा केशरीसिंह–पृथ्वीराज पि. रामजीवन के पक्ष में विक्रय की गयी है, जिसमें प्रार्थीगण को कब्जा दिया जाने का भी अंकन किया है । सनद प्राप्त होने के पश्चात सनद प्राप्तकर्ता को अपनी भूमि बेचाने करने का स्वतः अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसमें धारा 39 आर.टी.एक्ट की कोई रुकावट नहीं है । यह कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सनद की प्रति संलग्न है, किन्तु उस पर गौर किये बिना प्रथम अपील में उक्त बिन्दु पर निर्णय पारित किया गया है । जहां तक 28 वर्ष पुराने बैयनामा का राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं होने का प्रश्न है, विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने के लिए कोई मियाद मुकर्रर नहीं है । इस सम्बन्ध में अभिभाषक प्रार्थी ने नजीर आरआरडी मई,2003 पृष्ठ 243 अवलोकनीय बताया । इसके अलावा प्रथम अपीलीय निर्णय के पेज नं0 3 की छठी लाइन में विक्रय पत्र की तारीख 21–5–69 दर्ज की गयी है, जबकि विक्रय पत्र दिनांक 7–5–69 का है ।

5. अभिभाषक प्रार्थी ने आगे अपनी बहस में बताया कि अपीलीय निर्णय में यह बिन्दु कि " अपीलान्ट ने रामप्यारी बेवा फूसाराम को पक्षकार नहीं बनाया तथा रामस्वरुप पुत्र रामधन को भी पक्षकार नहीं बनाया, जो आवश्यक पक्षकार है "। जबकि प्रकरण में रामप्यारी बेवा फूसाराम भूमि विक्रेता है, जिसके द्वारा प्रार्थीगण को विवादित भूमि का बेचान किया गया है । अतः भूमि का बेचान हो जाने के पश्चात बेचान कर्ता के अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं । इसलिए अपील में भूमि विक्रेता रामप्यारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है । इसके अलावा रामस्वरुप की मृत्यु होने के पश्चात उसकी पत्नी सावित्री बेवा रामस्वरुप को पक्षकार बनाया हुआ है । अतः अपीलीय निर्णय दिनांक 14.8.07 में उपरोक्तानुसार Error on the face of record होने से प्रार्थीगण का रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । अभिभाषक प्रार्थी ने अपने कथन के सम्बन्ध में नजीर आरआरडी मई 2007 पेज 315 अवलोकनीय बताया ।

6. प्रार्थी के रिव्यु पेटीशन प्रार्थना पत्र पर राजकीय अभिभाषक का कथन है कि मौके पर प्रार्थीगण केशरीसिंह वगैरह का कब्जा नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बैयनामा का नामान्तरकरण स्वीकार नहीं हुआ है तथा रिकॉर्ड में खातेदारी का अंकन नहीं है । इस कारण सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में दिया गया अपीलीय निर्णय दिनांक 14.8.07 सही है । अतः रिव्यु पेटीशन का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. हमने रिव्यु पेटीशन प्रार्थना पत्र उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार घड़साना के निर्णय दिनांक 10–4–97 के विरुध्द प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14–8–07 को निर्णय पारित किया गया, जिसके विरुध्द प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह रिव्यु पेटीशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है । इस न्यायालय द्वारा अपील सं0 26/98 निर्णय दिनांक 14–8–07 मूल रुप से इस आधार पर खारिज की गयी है कि वर्ष 1969 में विवादित भूमि गैर खातेदारी की थी, अतः प्रकरण में आर.टी. एक्ट 1955 की धारा 39 के प्रावधान के विपरीत गैर खातेदारी भूमि का विक्रय किया गया है तथा 28 वर्ष पुराने बैयनामे का अंकन भी नहीं करवाया जा सकता है ।

8. हमने रिव्यु पेटीशन पर उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण में तहसीलदार घड़साना द्वारा रिमाण्ड प्रकरण सं0 19/94 अनवाना पृथ्वीराज व केशरीसिंह बनाम सावित्री में पारित किये गये निर्णय दिनांक 10.4.97 अनुसार विवादित भूमि आज भी साहबराम पुत्र फूसाराम व रामप्यारी माता कुरड़ाराम जाट सा0 फतूही के नाम कस्टोडियन अलोटी के रुप में दर्ज है तथा अभिलेख में खातेदारी का अंकन नहीं है । इसी कारण अपीलीय निर्णय दिनांक 14.8.07 में पिठासीन अधिकारी द्वारा विवादित रकबा को गैर खातेदारी माना गया । पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 6.3.97 के अनुसार मौके पर प्रार्थीगण केशरीसिंह वगैरह का कब्जा नहीं है, बल्कि अप्रार्थी सं02 सावित्री बेवा रामस्वरुप बिश्नोई व सुभाष चन्द्र पुत्र रामस्वरुप काबिज है । इस कारण प्रार्थीगण का 28 वर्ष पुराने बैयनामा का नामान्तरकरण स्वीकार नहीं हुआ है । नामान्तरकरण फिस्कल प्रोसीडिंग होने से अपीलान्ट को अपनी विवादित भूमि पर अपना हक प्राप्त करने हेतु इन्हीं तथ्यों के मध्यनजर इस न्यायालय के अपीलीय निर्णय दिनांक 14.8.07 में अपीलार्थी को सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया है । अतः इस न्यायालय द्वारा अपील सं0 26/98 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 14.8.07 में Error on the face of record परिलक्षित नहीं होने से उक्त निर्णय के विरुध्द प्रस्तुत की गयी रिव्यु पेटीशन का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.9.2007 अस्वीकार किया जाता है तथा निर्णय दिनांक 14.8.07 यथावत रखा जाता है ।

9. तद्अनुसार रिव्यु पटीशन का प्रार्थाना पत्र निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॅार्ड वापिस लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 14.5.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर